खाद्य प्रसंस्करण निधि (एफ़पीएफ़) - संशोधित परिचालनात्मक दिशानिर्देश
Food Processing Fund (FPF) 2014-15 - Operational Guidelines

भारत सरकार ने देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को उच्च प्राथमिकता दी है. लोकसभा में आम बजट पर बहस का उत्तर देते हुए 18 जुलाई 2014 को वित्तमंत्री ने नाबार्ड में रु.2000 करोड़ की एक विशेष निधि की स्थापना की घोषणा की ताकि फूड पार्क के नाम से निर्दिष्ट की जाने वाली कृषि प्रसंस्करण इकाइयों को वहन करने योग्य लागत पर ऋण उपलब्ध कराया जा सके. खाद्य प्रसंस्करण निधि 2014-15 के रूप में निर्दिष्ट यह निधि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नाबार्ड में स्थापित की गई है. इस निधि से नाबार्ड द्वारा वित्तीय सहायता सीधे या अन्य वित्तपोषक एजेंसियों के साथ ऋणदाता संघ (कन्सोर्सियम) के माध्यम से दी जाती है. इस निधि से निर्दिष्ट फूड पार्कों की स्थापना और निर्दिष्ट फूड पार्कों में एकल खाद्य/ कृषि प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिए राज्य सरकारों, केंद्र/ राज्य सरकारों द्वारा प्रवर्तित संस्थाओं, संयुक्त उद्यमों, सहकारी संस्थाओं, सहकारी संस्थाओं के महासंघों, एसपीवी, कृषक उत्पादक संगठनों, कारपोरेटों, कंपनियों, उद्यमियों आदि द्वारा सहायता ली जा सकती है.

Government of India (GoI) has accorded top priority for the development of the food processing industry in the country and, accordingly, in reply to the debate on General Budget in Lok Sabha on 18 July 2014, the Finance Minister had announced setting up of a Special Fund of Rs. 2000 crore in NABARD to make available affordable credit to agro-processing units being designated as Food Parks. The Fund, designated as Food Processing Fund 2014-15, has been established in NABARD by the Reserve Bank of India (RBI). Financial assistance from this Fund will be provided by NABARD either directly or through consortium arrangements with other financing agencies. State Governments, entities promoted by State / Central Governments, Joint Ventures, Cooperatives, Federation of Cooperatives, SPVs, Farmer Producer Organisations, Corporates, Companies, Entrepreneurs, etc., may avail loans from this Fund for establishing the designated Food Parks and also for setting up of individual food/agro processing units in the designated Food Parks.

2. इस निधि को परिचालित करने से संबंधित प्रमुख विशेषताएं निम्नानुसार हैं:
The Salient features related with operationalization of the Fund are indicated below:

1	**उद्देश्य** **Objective**	कृषि उपज की बरबादी को कम करने और खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए देश में क्लस्टर आधार पर कृषि प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास को गति देना. To provide impetus to development of food processing sector on cluster basis in the country to reduce wastage of agricultural

		produce and to create employment opportunities, especially in rural areas.
2	**वित्तीय सहायता का माध्यम** **Mode of Financial Support**	नाबार्ड इस निधि से सावधि ऋण देगा. NABARD will provide term loans out of the Fund. सावधि ऋण या तो सीधे या अन्य वित्तपोषक एजेंसियों के साथ ऋणदाताओं के संघ के माध्यम से दिया जाएगा. Term loans will be provided either directly or through consortium arrangements with other financing agencies.
3	**पात्र संस्थाएं/ निकाय** **Eligible Institutions/ Entities**	• राज्य सरकारें/ State Governments राज्य सरकारों द्वारा (सरकारी गारंटी के साथ या उसके बिना) प्रवर्तित निकाय/ Entities promoted by State Governments (with or without Government Guarantee) • भारत सरकार द्वारा प्रवर्तित निकाय, प्रवर्तित संस्थाएं, संयुक्त उद्यम, सहकारी संस्थाएं, सहकारी संस्थाओं के महासंघ, एसपीवी, कृषक उत्पादक संगठन, कारपोरेट, कंपनियां, उद्यमी आदि. Entities promoted by Government of India, Joint ventures, SPVs, Cooperatives, Federations of Cooperatives, Farmers' Producer Organizations, Corporates, Companies, Entrepreneurs, etc.
4	**निर्दिष्ट फूड पार्क** **Designated Food Parks**	केवल खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट और अधिसूचित फूड पार्क और ऐसे फूड पार्कों में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां इस निधि से वित्तीय सहायता के लिए पात्र हैं. निर्दिष्ट फूड पार्क में निम्नलिखित शामिल हैं: Only the Food Parks designated and notified by the Ministry of Food Processing Industries (MOFPI), GoI and the food processing units in such designated Food Parks will be eligible for financial assistance from the Fund. The designated Food Parks will include: • खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रवर्तित फूड पार्क Food Parks promoted by MOFPI; • खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रवर्तित मेगा फूड पार्क Mega Food Parks promoted by MOFPI; • राज्य सरकारों द्वारा प्रवर्तित फूड पार्क/ केवल खाद्य प्रसंस्करण के औद्योगिक एस्टेट Food Parks/exclusive food processing industrial estates promoted by State Governments; • खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा निर्दिष्ट खाद्य प्रसंस्करण/ कृषि

		प्रसंस्करण/ बहु-उत्पाद विशेष आर्थिक ज़ोन (सेज) इन जोनों में उन क्षेत्रों सहित जिनकी अधिसूचना वापस ले ली गई है, और Food processing/ agro processing/ multi-product Special Economic Zones (SEZs), including de-notified areas of these SEZs, designated by MoFPI; and • कोई भी अन्य क्षेत्र जहां सहयोगी बुनियादी ढांचा विकसित किया गया हो और जिसे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा फूड पार्क के रूप में निर्दिष्ट किया गया हो. Any other area having developed enabling infrastructure and designated as Food Park by MOFPI
5	**परियोजनाओं के प्रकार** **Type of Projects**	• निर्दिष्ट फूड पार्कों में आवश्यक आधारभूत संरचनाओं का विकास/ स्थापना Development/Establishment of all infrastructure required in the designated Food Parks. • निर्दिष्ट फूड पार्कों में परिवर्धन/ उनका आधुनिकीकरण/ उनमें अतिरिक्त आधारभूत संरचनाओं का निर्माण Augmentation/ modernization/ creation of additional infrastructure in the designated Food Parks. • निर्दिष्ट फूड पार्कों में एकल खाद्य प्रसंस्करण इकाई की स्थापना या खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के सहयोग के लिए किसी अन्य इकाई की स्थापना Setting up of individual food processing units or any other unit that is established for supporting the operations of the food processing units within the designated Food Parks. • निर्दिष्ट फूड पार्कों में विद्यमान प्रसंस्करण इकाइयों का आधुनिकीकरण जिसके कारण प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी का उन्नयन हो, उन्हें स्वचालित बनाया जा सके, उनकी कार्यक्षमता बढ़े, उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार हो, लागत कम हो आदि Modernization of existing processing units in the designated Food Parks, resulting in process technology upgradation, automation, increased efficiency, improvement in product quality, reduction in cost, etc.

6	**प्रसंस्करण गतिविधियों का दायरा और उनके प्रकार** **Scope and types of processing activities**	निर्दिष्ट फूड पार्कों में स्थापित एकल इकाइयों द्वारा की जाने वाली प्रसंस्करण गतिविधियों का दायरा बहुत बड़ा है जिसमें फसल लेने के बाद की जाने वाली ऐसी गतिविधियां शामिल हैं जिनके परिणामस्वरूप मूल्यवर्धन होता हो और/ या भंडारण अवधि बढ़ती हो जैसे कि सफाई करना, श्रेणीकरण करना, वॅक्सिंग करना, पकने की क्रिया को नियंत्रित करना, लेवलिंग करना, पैकिंग करना और पैकेजिंग करना, भंडारण करना, डिब्बा बंद करना, फ्रिजिंग करना, फ्रीज ड्राईंग करना, खाद्य प्रसंस्करण के विभिन्न स्तर और प्रसंस्करण से जुड़ी अन्य सभी गतिविधियां. इकाइयों द्वारा प्रसंस्करण/ विनिर्माण के उत्पादों में निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं: The scope of processing activities undertaken by the individual units set up in the designated Food Parks may cover a wide range of post-harvest processes resulting in value addition and / or enhanced storage life, such as cleaning, grading, waxing, controlled ripening, labelling, packing and packaging, warehousing, canning, freezing, freeze drying, various levels of food processing and all activities related to food processing. The products of processing / manufacturing undertaken by the units may include: • फल, सब्जियां, मशरूम, पौध फसलें और अन्य बागवानी फसलें Fruits, vegetables, mushrooms, plantation crops and other horticulture crops. • दूध और अन्य दुग्धोत्पाद Milk and milk products • पोल्ट्री और मीट Poultry and meat • मछली और अन्य जलचर व समुद्री उत्पाद Fish and other aquatic & marine products. • अनाज, दालें, तिलहन और अन्य तिलहन फसलें Cereals, pulses, oilseeds and oil crops • जड़ीबूटियां, औषधीय और सगंध पौधे, वन्य उत्पाद आदि Herbs, medicinal and aromatic plants, forest produce, etc. • बेकरी उत्पादों, भोज्य पदार्थों, स्नैक्स आदि जैसे उपभोक्ता खाद्य उत्पाद Consumer food products, such as bakery items, confectionery, snacks, etc. • अन्य कोई भी भोजन के लिए तैयार खाद्य/ आसानी से उपभोग किए जा सकने वाले खाद्य पदार्थ Any other ready-to-eat food / convenience foods.

		• पेय, मद्येतर पेय पदार्थ, उर्जा पेय, कार्बोनेटेड पेय, पैकेज पेय जल, सॉफ्ट ड्रिंक्स आदि Beverages, non-alcoholic drinks, energy drinks, carbonated drinks, packaged drinking water, soft drinks, etc. • विभिन्न प्रकार के आस्वाद, भोजन में इस्तेमाल होने वाले रंग, मसाले, बघार, खाद्य घटक, खाद्य पदार्थ को खराब होने से बचाने वाले तत्व और कोई भी अन्य मद जो खाद्य प्रसंस्करण के लिए आवश्यक हो • Food flavours, food colours, spices, condiments, ingredients, preservatives and any other item which may be required in food processing. • पोषक तत्व, स्वास्थ्य आहार, स्वास्थ्य पेय आदि Neutraceuticals, health foods, health drinks, etc. • निर्दिष्ट फूड पार्क में स्थापना के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित कोई भी अन्य गतिविधि Any other activity approved by the competent authority for establishment in the designated Food Park.			
7	**उधार के निबंधन/ Terms of Lending**				
क्रम सं. Sr. **No**	**उधारकर्ता निकाय Borrowing entity**	**ऋण की अधिकतम प्रमात्रा (पात्र परियोजना परिव्यय के प्रतिशत में) Max. Quantum of loan (% to eligible project outlay)**	**ऋण की अवधि Tenure of loan**	**ब्याज दर Rate of interest (% वार्षिक/ p.a.)**	**प्रतिभूति/ Security**
(i)	राज्य सरकारें/ State Governments	95%	7 वर्ष/ years	भारि बैंक द्वारा समय-समय पर यथानिर्धारित वर्तमान में यह आरआईडीएफ उधार पर लागू दर के बराबर है (बैंक दर - 1.50%) As decided by RBI from time to time. Presently, it is	इस आशय का एक वचन-पत्र कि राज्य सरकार ऋणों को ब्याज के साथ समय पर चुकाएगी और चुकौती बाध्यताओं के लिए पर्याप्त बजटीय प्रावधान करेगी. An undertaking to the effect that State Government will repay the loans, with

				as applicable for Rural Infrastructure Development Fund (RIDF) lending (Bank Rate - 1.50%)	interest, in time and shall make adequate budgetary provisions to make the repayment obligations.
(ii)	राज्य सरकार द्वारा प्रवर्तित इकाई **(सरकारी गारंटी के साथ)** Entities promoted by State Governments **(with Government Guarantee)**	95%	7 वर्ष/ years	भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय समय पर यथानिर्धारित. वर्तमान में, यह आरआईडीएफ ऋण के लिए लागू दर (बैंक दर - 1.50%) के समान है. As decided by RBI from time to time. Presently, it is as applicable for RIDF lending (Bank Rate - 1.50%)	प्राथमिक प्रतिभूति, सरकारी गारंटी और नाबार्ड को स्वीकार्य संपार्श्विक प्रतिभूति Primary security, Government Guarantee and Collateral Security as acceptable to NABARD
(iii)	राज्य सरकार द्वारा प्रवर्तित इकाई **(सरकारी गारंटी के बगैर)** Entities promoted by State Governments **(without Government Guarantee)**	95%	7 वर्ष तक Up to 7 years	पीएलआर* + जोखिम प्रीमियम PLR* + Risk Premium	प्राथमिक प्रतिभूति और नाबार्ड को स्वीकार्य संपार्श्विक प्रतिभूति Primary Security and Collateral security as acceptable to NABARD

(iv)	भारत सरकार द्वारा प्रवर्तित निकाय, संयुक्त उद्यम, एसपीवी, सहकारी संस्थाएं, सहकारी समितियां, कृषक उत्पाद संगठन, कार्पोरेट्स, कंपनियां, उद्यमी आदि. Entities promoted by Government of India, Joint ventures, SPVs, Cooperatives, Federations of Cooperatives, Farmers' Producer Organizations, corporates, companies, entrepreneurs, etc.	75%	7 वर्ष तक Up to 7 years	पीएलआर* + जोखिम प्रीमियम PLR* + Risk Premium	प्राथमिक प्रतिभूति और नाबार्ड को स्वीकार्य संपार्श्विक प्रतिभूति Primary Security and Collateral Security as acceptable to NABARD

**पीएलआर: समय-समय पर यथानिर्धारित तथा ऋण की प्रत्येक किस्त के संवितरण के समय लागू नाबार्ड की मूल उधार दर /*

**PLR: Prime Lending Rate of NABARD, as decided from time to time and as applicable at the time of disbursement of each loan instalment.*

निधि के परिचालन के संबंध में वित्तीय मानदंड **अनुबंध 1** में प्रस्तुत किए गए हैं. मेगा फूड पार्क परियोजना, अन्य निर्दिष्ट फूड पार्कों (मेगा फूड पार्कों से भिन्न) और निर्दिष्ट फूड पार्कों में स्थापित की जाने वाली खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की जोखिम रेटिंग से संबंधित पहलू और सावधि ऋण पर ब्याज की लागू दर के विवरण क्रमश: **अनुबंध 2 (अ), अनुबंध 2 (आ)** तथा **अनुबंध 2 (इ)** में दिए गए हैं.

The financial parameters with regard to operationalization of the Fund are presented in **Annexure-1**. The aspects with regard to risk rating of Mega Food Park projects, other designated Food Parks (other than Mega Food Parks) and Food Processing Units being established in designated Food Parks and the applicable rate of interest on term loan are indicated in **Annexure -2 (A), Annexure -2 (B) and Annexure -2 (C),** respectively.

अनुबंध/Annexure-1

खाद्य प्रसंस्करण निधि (एफपीएफ) 2014-15 - वित्तीय पहलू
Food Processing Fund (FPF) 2014-15 - Financial aspects

I. परियोजना लागत/ Project Cost

परियोजना की प्रकृति के आधार पर कुल परियोजना लागत में पात्र मदें अलग-अलग हो सकती हैं और उनमें सामान्यतया परियोजना स्थल का विकास, सिविल कार्य, आंतरिक सड़कें, जलनिकास व्यवस्था, संयत्र और मशीनरी, उपकरण और अन्य स्थिर परिसंपत्ति, तकनीकी अंतरण शुल्क और अन्य परामर्श प्रभार, प्रारंभिक तथा परिचालन-पूर्व व्यय, एक परिचालन चक्र के लिए पूंजीकृत कार्यशील पूंजी आदि शामिल हैं. यदि परियोजना के प्रस्ताव में विशेष रूप से अनुरोध किया गया है तो मामले की गुणवत्ता के आधार पर निर्माण अवधि के दौरान ब्याज के पूंजीकरण पर विचार किया जाएगा. परियोजना के लिए जमीन की लागत की गणना करते समय निम्नलिखित पहलुओं पर विचार किया जाएगा:

Eligible items in the total project cost may vary depending on the nature of project and will generally include site development, civil works, internal roads, drainage, plant and machinery, equipment and other fixed assets, technology transfer fee and other consultancy charges, preliminary and pre-operative expenses, capitalized working capital for one operating cycle, etc. If specifically requested in the project proposal and based on the merit of the case, capitalization of interest during construction period will be considered. While reckoning the cost of land for the project, the following would be considered:

(i) यदि परियोजना कार्यान्वयक एजेंसी (उधारकर्ता) द्वारा भूमि की खरीद किसी बाहरी एजेंसी/ एजेंसियों/ व्यक्तियों आदि से की जाती है जो परियोजना कार्यान्वयक एजेंसी से नहीं जुड़ा/ जुड़ी है (प्रवर्तक, शेयर धारक, निदेशक, समूह/ सहायक संस्था, किसी प्रवर्तक/ शेयर धारक आदि से सहबद्ध कंपनी में से किसी भी रूप में) तो भूमि की संपूर्ण लागत को उधारकर्ता की मार्जिन राशि अंशदान के रूप में अंशत:/ पूर्णत: माना जाएगा. भूमि की लागत रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख के अनुसार अधिग्रहण की वास्तविक लागत की सीमा तक (स्टैम्प ड्यूटी पर हुए व्यय सहित) मानी जाएगी.
Where land is purchased by the project implementing agency (Borrower) from an external agency/agencies/individuals, etc., who is/are not associated with the project implementing agency (either as promoter(s), shareholder(s), Director(s), group / subsidiary, associated company of any of the promoters/shareholders, etc.), the entire land

cost shall be considered as part/ entirety of the borrower's margin money contribution. The land cost shall be considered to the extent of actual cost of acquisition (including expenses towards stamp duty) as per the registered sale deed.

(ii) यदि निर्दिष्ट फूड पार्क के लिए भूमि किसी एजेंसी/ एजेंसियों/ व्यक्तियों आदि से की जाती है जो परियोजना कार्यान्वयक एजेंसी से जुड़ा/ जुड़ी है (प्रवर्तक, शेयर धारक, निदेशक, समूह/ सहायक संस्था, किसी प्रवर्तक/ शेयर धारक आदि से सहबद्ध कंपनी में से किसी भी रूप में) तो भूमि की लागत चालू लेन-देन के रजिस्ट्रीकृत मूल्य अथवा सरकार के चालू कार्ड रेट/ सर्कल रेट में से जो भी कम हो उसके अनुसार मानी जाएगी. लेन-देन के लिए भुगतान की गई स्टैम्प ड्यूटी भी भूमि की लागत का पात्र घटक होगी.

Where the land for the designated food park is acquired from an agency / agencies/ individuals, etc., who is/are associated with the project implementing agency (either as promoter(s), shareholder(s), Director(s), group / subsidiary, associated company of any of the promoters/shareholders, etc.), the cost of land is considered as per the registered value of the current transaction or the current Card Rate / Circle Rate of the Government, whichever is lower. The stamp duty paid towards the transaction is also an eligible component of land cost.

(iii) किसी राज्य द्वारा प्रवर्तित एजेंसी द्वारा स्थापित की जाने वाली निर्दिष्ट फूड पार्क परियोजना के मामले में जहां परियोजना के लिए भूमि संबंधित राज्य सरकार अथवा सरकार/ या किसी सार्वजनिक संस्था आदि की किसी एजेंसी या संस्था द्वारा अधिक स्वत्व के अंतरण, दीर्घावधि पट्टे या किसी अन्य कानूनी रूप से वैध साधन के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है तो परियोजना के लिए राज्य/ एजेंसी से भूमि के अधिग्रहण पर परियोजना कार्यान्वयक एजेंसी द्वारा उठाए गए वास्तविक खर्च को मान्य किया जाएगा.

In respect of the designated food park project to be established by a State-promoted agency, where the land for the project is provided by the State Government concerned or any agency / institution of the Government/ or any public institution, etc., by way of transfer of rights, long term lease or by any legally valid means, the actual expenses incurred by the project implementing agency in the acquisition of the land for the project from the State / agency shall be considered.

(iv) निर्दिष्ट फूड पार्क में खाद्य प्रसंस्करण इकाई की स्थापना के लिए भूमि के अधिग्रहण के मामले में रजिस्ट्रीकृत पट्टा विलेख/ विक्रय विलेख के अनुसार लीज प्रीमियम/ खरीद की लागत को भूमि की लागत के रूप में मान्य किया जाएगा.
In respect of acquisition of land for establishing a food processing unit in a designated food park, the lease premium / purchase cost as per the Registered Lease Deed / Sale Deed shall be reckoned towards cost of land.

2. सावधि ऋण/ Term Loan

(i) इस निधि से दी जाने वाली सावधि ऋण सहायता राज्य सरकारों और राज्य सरकारों द्वारा प्रवर्तित निकायों (चाहे वे सरकारी गारंटी से युक्त हों या नहीं) नाबार्ड द्वारा यथा-आकलित पात्र कुल परियोजना परिव्यय के अधिकतम 95% तक होगी.
The extent of term loan assistance out of the Fund will be variable up to a maximum of 95% for the State Governments and entities promoted by State Governments (whether or not supported by Government Guarantee) of the eligible total project outlay assessed by NABARD.

(ii) अन्य सभी श्रेणियों के उधारकर्ता निकायों के लिए सावधि ऋण की सीमा नाबार्ड द्वारा यथाआकलित पात्र कुल परियोजना परिव्यय के अधिकतम 75% तक होगी.
For all other categories of borrowing entities, the extent of term loan will be up to a maximum of 75% of eligible total project outlay assessed by NABARD.

3. उधारकर्ता द्वारा मार्जिन राशि (न्यूनतम) अंशदान/ Margin Money (minimum) Contribution by the Borrower

(i) आरआईडीएफ-प्रकार के ऋण (राज्य सरकारों और राज्य प्रवर्तित निकायों और सरकारी गारंटी से युक्त) के अंतर्गत 5% और पीएलआर-आधारित ऋण के लिए 25% या परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण की लागत जो भी अधिक हो. दूसरे शब्दों में भूमि अधिग्रहण की लागत केवल उधारकर्ता की मार्जिन राशि का एक हिस्सा होनी चाहिए और एफपीएफ से परियोजना के लिए भूमि के अधिग्रहण हेतु सावधि ऋण उपलब्ध नहीं होगा.
5% under RIDF-type lending (direct loans to State Governments and Loans to State-Promoted Entities, backed by Government Guarantee) and 25% for PLR-based lending or the cost of acquisition of land for the project, whichever is higher. In other words, the cost of acquisition of land shall be a part of the borrower's margin only and term loan from FPF shall not be available for acquisition of the land for establishing the project.

(ii) पूंजी अनुदान या भारत सरकार, राज्य सरकार या अन्य किसी एजेंसी से प्राप्त होने वाली किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता (जो बाद में दी जाने वाली वित्तीय सहायता न हो और जिसे वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली एजेंसी को चुकाने की आवश्कता न हो) जो वित्तीय साधन यदि कोई हों का एक हिस्सा हो तो उसे उधारकर्ता द्वारा मार्जिन राशि के अंशदान का एक हिस्सा माना जाएगा.

Capital grant or any form of financial assistance (which is not a back-ended financial assistance and which need not be repaid to the agency providing financial assistance) forming part of the means of finance, if any, from GoI, State Government or any other agency is treated as part of the margin money contribution by the borrower.

(iii) जहां भारत सरकार या राज्य से पूंजी अनुदान उपलब्ध है और यदि योजना विशिष्ट दिशानिर्देशों के अनुसार परियोजना के पूर्ण होने के बाद अनुदान की एक/ एकाधिक किस्त जारी की गई है तो नाबार्ड द्वारा मंजूर सावधि ऋण के 75% राशि जारी करने के पश्चात् उतनी निधियों की व्यवस्था उधारकर्ता द्वारा की जाए. केवल उधारकर्ता द्वारा परियोजना के खाते में इन निधियों को जमा करने के बाद ही ऋण की बाद में दी जाने वाली राशि को जारी किया जाए. Where capital grant from GoI or State Government is available and if one/more of the grant installments are released after the completion of the project as per the specific Scheme Guidelines, that extent of funds shall be arranged by the Borrower either by way of additional equity or other borrowings (subordinate to term loan of NABARD) after 75% of the sanctioned term loan is released by NABARD. Subsequent loan amount shall be released only after infusion of these funds into the project account by the Borrower.

4. ब्याज की दर और उधारकर्ता निकाय और परियोजना की जोखिम रेटिंग
Rate of Interest and Risk Rating of the Borrowing Entity and Project

(i) राज्य सरकारों और राज्य सरकार की गारंटी से युक्त राज्य प्रवर्तित उधारकर्ता निकायों को मंजूर किए गए ऋणों पर ब्याज दर आरआईडीएफ के मामले में लागू ब्याज दर यानी बैंक दर (ऋण की किस्त के संवितरण की तारीख को लागू दर के अनुसार) से 1.50% कम होगी.

The rate of interest on the loans sanctioned to the State Governments and to the state-promoted entities guaranteed by the State Government will be as applicable for lending from RIDF, i.e., Bank Rate (as applicable on the date of disbursement of loan installment) less 1.50%.

(ii) राज्य प्रवर्तित निकायों (राज्य सरकार की गारंटी के बिना) और निजी क्षेत्र के निकायों को मंजूर ऋणों के लिए ब्याज दर नाबार्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित मूल उधार दर (पीएलआर) से

जुड़ी होगी. तदनुसार ऋण की प्रत्येक किस्त के संवितरण के लिए लागू ब्याज दर की गणना जोखिम प्रिमियम को ध्यान में रखते हुए की जाएगी जिसका आकलन परियोजना की मंजूरी के समय नाबार्ड द्वारा की गई परियोजना की जोखिम रेटिंग पर आधारित होगी. जोखिम रेटिंग व जोखिम प्रिमियम तथा राज्य प्रवर्तित निकायों (राज्य सरकार की गारंटी के बिना) को मंजूर किए गए सावधि ऋण पर उधारकर्ता पर प्रभारित की जाने वाली ब्याज दर के विवरण मेगा फूड पार्क परियोजनाओं के मामले में अनुबंध 2 (अ), निर्दिष्ट फूड पार्क (मेगा फूड पार्क से भिन्न) के मामले में अनुबंध 2 (आ) और निर्दिष्ट फूड पार्कों में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना की परियोजनाओं के मामले में अनुबंध 2 (इ) में दिए गए हैं. जिन परियोजनाओं का जोखिम अंक हर्डल रेट से कम होगा उन पर इस निधि से ऋण सहायता के लिए विचार नहीं किया जाएगा

For the loans sanctioned to the state-promoted entities (not guaranteed by the State Government) and to the private sector entities, the interest rate will be linked to Prime Lending Rate (PLR) fixed by NABARD from time to time. Accordingly, the applicable rate of interest for each disbursement of loan installment amount is worked out after taking into account the risk premium, which is assessed based on the risk rating exercise undertaken by NABARD for the project at the time of project sanction. Particulars of risk rating & the risk premium and the rate of interest chargeable to the borrower on the term loans sanctioned to the state-promoted entities (not guaranteed by the State Government) and to the private sector entities are furnished in Annexure-2 (A) in respect of Mega Food Park projects, Annexure-2 (B) in respect of designated Food Park (other than Mega Food Park) projects and Annexure-2 (C) in respect of projects establishing Food Processing units in designated Food Parks. Projects securing the risk score below the hurdle rate will not be considered for loan assistance from the Fund.

5. प्रतिभूति/ Security

क्रम सं. **Sr. No**	**उधारकर्ता निकाय** **Borrowing entity**	**प्रतिभूति** **Security**
1	राज्य सरकारें/ State Governments	इस आशय का एक वचन-पत्र कि राज्य सरकार ऋणों को ब्याज के साथ समय पर चुकाएगी और चुकौती बाध्यताओं के लिए पर्याप्त बजटीय प्रावधान करेगी. An undertaking to the effect that State Government will repay the loans, with interest, in time and shall make adequate budgetary provisions to make the repayment obligations.

2	राज्य सरकार द्वारा प्रवर्तित निकाय **(सरकारी गारंटी के साथ)** Entities promoted by State Governments **(with Government Guarantee)**	प्राथमिक प्रतिभूति, सरकारी गारंटी और नाबार्ड को स्वीकार्य संपार्श्विक प्रतिभूति Primary security, Government Guarantee and Collateral Security as acceptable to NABARD
3	राज्य सरकार द्वारा प्रवर्तित निकाय **(सरकारी गारंटी के बिना) और निजी क्षेत्र** Entities promoted by State Governments **(without Government Guarantee) &** Private Sector	प्राथमिक प्रतिभूति और नाबार्ड को स्वीकार्य संपार्श्विक प्रतिभूति Primary Security and Collateral security as acceptable to NABARD

6. मूल्यांकन शुल्क/ Evaluation Fee

(i) राज्य सरकारों को मंजूर किए जाने वाले ऋणों के लिए जहां आरआईडीएफ लेंडिंग मानदंड लागू हैं, ऐसे मामलों में मूल्यांकन शुल्क प्रभारित नहीं किया जाएगा.

For the loans sanctioned to State Governments where RIDF lending norms are applicable, no evaluation fee will be charged.

(ii) राज्य सरकार द्वारा गारंटी प्रदान किए गए राज्य सरकार के स्वामित्व वाली संस्थाओं को मंजूर किए गए ऋणों के लिए न्यूनतम रु. 2 लाख और अधिकतम रु.15 लाख की शर्त के अधीन कुल वित्तीय परिव्यय का 0.25% गैर वापसी योग्य मूल्यांकन शुल्क प्रभारित किया जाएगा. लागू सांविधिक कर इत्यादि, यदि कोई हों, अतिरिक्त रूप से लागू होंगे. कुल मूल्यांकन शुल्क (लागू करों सहित) का 25% अग्रिम के रूप में वसूल किया जाएगा. उधारकर्ता को विस्तृत मंजूरी पत्र जारी करने से पूर्व शेष शुल्क की वसूली की जाएगी.

For the loans sanctioned to State-owned entities guaranteed by the State Government, a non-refundable evaluation fee of 0.25% of Total Financial Outlay (TFO), subject to a minimum of Rs.2 lakh and maximum of Rs.15 lakh will be charged. Statutory taxes, etc. applicable, if any, will be extra. 25% of the total evaluation fee (plus applicable taxes) will be collected upfront. The balance fee shall be collected prior to the issue of detailed sanction letter to the Borrower.

(iii) राज्य के स्वामित्व वाली संस्थाओं को मंजूर ऋणों (राज्य सरकार की गारंटी के बिना) के लिए और निजी क्षेत्र की सभी श्रेणियों के लिए जहां ब्याज की पीएलआर आधारित दर लागू हैं, न्यूनतम रु.2.00 लाख और अधिकतम रु. 30.00 लाख प्रति परियोजना की शर्त के अधीन परियोजना लागत का 0.25% मूल्यांकन शुल्क प्रभारित किया जाएगा. लागू सांविधिक कर, इत्यादि, यदि कोई हों,

अतिरिक्त रूप से लागू होंगे. कुल मूल्यांकन शुल्क (लागू करों सहित) का 25% अग्रिम के रूप में वसूल किया जाएगा. उधारकर्ता को विस्तृत मंजूरी पत्र जारी करने से पूर्व शेष शुल्क की वसूली की जाएगी.

For the loans sanctioned to State-owned entities (not guaranteed by the State Government) and all categories of private sector where PLR-based rate of interest is applicable, an evaluation fee of 0.25% of project cost, subject to a minimum of Rs. 2.00 lakh and a maximum of Rs.30.00 lakh per project, will be charged. Statutory taxes, etc. applicable, if any, will be extra. 25% of the total evaluation fee (plus applicable taxes) will be collected upfront. The balance fee shall be collected prior to the issue of detailed sanction letter to the Borrower.

7. ऋण अनुप्रवर्तन शुल्क/ Credit Monitoring Fee

ऋण की अवधि के दौरान कार्यान्वयन/ निर्माण चरण के दौरान तथा निर्माण चरण के पश्चात् की अवधि के दौरान स्वयं अथवा नियुक्त किए गए प्रतिनिधियों के माध्यम से विशिष्ट प्रयोजन हेतु किए गए आवधिक अनुपवर्तन दौरों के लिए, परियोजना की तकनीकी, वित्तीय और विधिक निरीक्षणों के लिए नाबार्ड द्वारा किए गए व्यय के बाबत ऋण अनुप्रवर्तन शुल्क प्रभारित किया जाता है. तथापि, राज्य सरकारों को मंजूर किए गए ऋणों के लिए कोई अनुप्रवर्तन शुल्क प्रभारित नहीं किया जाएगा. सभी अन्य परियोजनाओं के मामले में (राज्य सरकार द्वारा संवर्धित संस्थाओं के लिए मंजूर की गई परियोजनाओं, राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत अथवा गारंटी न प्रदान की गई तथा निजी क्षेत्र को मंजूर की गई परियोजनाओं के मामले में), ऋण अवधि के दौरान प्रति वर्ष न्यूनतम रु.0.50 लाख और अधिकतम रु.2.00 लाख की शर्त के अधीन मंजूर किए गए सावधि ऋण के 0.05% की दर से ऋण अनुवर्तन शुल्क प्रभारित किया जाएगा. सांविधिक शुल्क, यदि लागू हों, अलग से प्रभारित किए जाएंगे.

Credit Monitoring Fee is charged towards the expenditure incurred by NABARD for undertaking technical, financial and legal inspections of the project during the implementation / construction phase as also for the periodic monitoring visits undertaken during the post-construction phase during the currency of the loan, either by itself or through its representatives appointed for the specific purpose. However, for the loans sanctioned to State Governments no credit monitoring fee will be charged. In respect of all other projects (projects sanctioned to State promoted entities, whether guaranteed or otherwise by the State Government, and the projects sanctioned to private sector), the Credit Monitoring Fee will be charged @ 0.05 per cent of term loan sanctioned, subject to a minimum of Rs.0.50 lakh and a maximum of Rs.2.00 lakh per year during the currency of loan period. Statutory taxes, if applicable, will be charged extra.

(ii) प्रथम संवितरण की तारीख से 1 वर्ष पूरा हो जाने पर और तत्पश्चात्, ऋण की अवधि के दौरान प्रत्येक वर्ष ऐसी प्रथम अदायगी के देय हो जाने पर प्रति वर्ष ऋण अनुप्रवर्तन शुल्क की अदायगी की जाएगी.

The credit monitoring fee shall be payable every year with the first such payment becoming due upon completion of one year from the date of first disbursement and, thereafter, every year during the currency of the loan.

8. बीमा/ Insurance

परियोजना के अंतर्गत सृजित की गई सभी आस्तियों तथा ऋण की अवधि के दौरान कच्चे माल के स्टॉक और इकाई में स्टोर किए गए अर्द्ध तैयार/ तैयार माल के लिए उधारकर्ता संस्थाएं पर्याप्त और व्यापक बीमा कवर सुनिश्चित करेंगी.

The borrowing entities would ensure adequate and comprehensive insurance cover for all the assets created under the project as also the stock of raw material and semi-finished / finished goods stored in the unit during the currency of the loan.

9. ऋण की चुकौती और ब्याज की अदायगी/ Repayment of Loan and Payment of Interest

(i) राज्य सरकार को मंजूर किए जाने वाले ऋणों के लिए 7 वर्षों की अवधि होगी जिसमें प्रारंभिक ऋण आस्थगन की दो वर्ष की अवधि भी शामिल होगी और ऋण की चुकौती पांच वार्षिक किस्तों में की जाएगी. इसके अलावा, जारी किए जाने वाले ऋण की प्रत्येक किस्त को एक अलग ऋण के रूप में समझा जाएगा और उसकी चुकौती 7 वर्षों में की जाएगी जिसमें दो वर्षों की अनुग्रह अवधि शामिल है. राज्य सरकार द्वारा अनुग्रह अवधि के दौरान भी तिमाही आधार पर ब्याज की चुकौती की जाएगी.

For the loans sanctioned to State Government, the tenure of the loans will be 7 years, inclusive of two years of initial moratorium, and the loan is repayable in five annual installments. Further, each loan installment released will be treated as a separate loan having 7 years of repayment, inclusive of 2 years of grace period. Interest will be payable by the State Government during the grace period also at quarterly rests.

(ii) राज्य सरकार द्वारा प्रवर्तित और राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत संस्थाओं को मंजूर किए गए ऋणों के लिए सावधि ऋण की प्रथम किस्त के संवितरण की तारीख से 7 वर्षों की अवधि होगी जिसमें प्रारंभिक ऋण आस्थगन के दो वर्ष भी शामिल रहेंगे. मूल धन की चुकौती परियोजना की गतिविधियों और परियोजना के नकदी प्रवाह की प्रकृति के आधार पर तिमाही/ छमाही/ वार्षिक किस्तों में की जाएगी. ब्याज की अदायगी अनुग्रह अवधि के दौरान तिमाही आधार पर की जाएगी.

उधारकर्ता संस्था द्वारा किए गए विशेष अनुरोध और जेस्टेशन अवधि के दौरान एजेंसी की ब्याज की अदायगी कर पाने की क्षमता के विश्लेषण के आधार पर नाबार्ड द्वारा ऋण आस्थगन अवधि के दौरान ब्याज के पूंजीकरण पर विचार किया जा सकता है.

For the loans sanctioned to the entities promoted by the State Government and guaranteed by the State Government will have a tenure of 7 years from the date of disbursement of first installment of term loan, inclusive of two years of initial moratorium. The principal will be repayable in quarterly/ half-yearly/ annual installments, depending on the project activities and the nature of project cash flows. Interest will be payable during the grace period also at quarterly rests. If specifically requested by the borrowing entity and based on analysis of the agency's capacity in meeting the payment of interest obligations during the gestation period, capitalization of interest during moratorium period may be considered by NABARD.

(iii) राज्य सरकार द्वार प्रवर्तित और राज्य सरकार द्वारा गारंटी **नहीं** प्रदान की गई संस्थाओं को मंजूर किए गए ऋणों और निजी क्षेत्र की विभिन्न प्रकार की संस्थाओं को मंजूर किए गए ऋणों के लिए परियोजना/ उधारकर्ता संस्था के दर्शाए गए नकदी प्रवाह के आधार पर चुकौती अवधि की गणना की जाएगी, जो सावधि ऋण की प्रथम किस्त के आहरण की तारीख से 7 वर्ष से अनधिक होगी. परियोजना/ उधारकर्ता इकाई के नकदी प्रवाह के आधार पर मूलधन की किस्तों की चुकौती के लिए अधिकतम 2 वर्षों की अनुग्रह अवधि पर विचार किया जाएगा. ब्याज की अदायगी अनुग्रह अवधि के दौरान भी की जाएगी. ऋणों पर ब्याज की अदायगी तिमाही आधार पर की जाएगी.

For the loans sanctioned to the entities promoted by the State Government and **not** guaranteed by the State Government; and the loans sanctioned to various types of private sector entities, the repayment period will be worked out based on the projected cash flows of the project / borrowing entity, which shall not exceed 7 years from the date of disbursement of first installment of term loan. Depending on the cash flows of the Project / borrowing entity, grace period up to a maximum of two years will be considered for repayment of installments of principal amount. Interest will be payable during the grace period also. The interest on loans will be payable on quarterly rests.

(iv) यदि उधार लेने वाली संस्था भुगतान के लिए विहित तिथि को मूलधन की चुकौती/ ब्याज का भुगतान नहीं कर पाती है, तो चूक की अवधि के लिए ऋण पर लागू ब्याज दर से 2% अधिक दंडात्मक ब्याज लगाया जाएगा.

If the borrowing entity fails to honour repayment of principal / payment of interest on the due date, penal interest @2% over and above the rate of interest applicable on the loan shall be charged for the period of default.

10. स्वीकृत परियोजनाओं का पुन:वैधकरण / पुन:पुष्टिकरण
Revalidation/ Reconfirmation of sanctioned projects

(i) सावधि ऋण संबंधी संवितरण के लिए मंजूरी पत्र के जारी होने/ मंजूरी पत्र में संशोधन के बाद उधारकर्ता अधिकतम छह महीनों के भीतर प्रथम क़िस्त ले सकता है. इसके लिए, मंजूरी के निबंधनों व शर्तों में किसी भी परिवर्तन से मंजूरी में कोई सुधार/ संशोधन नहीं होगा. छह महीने की निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद मंजूरी को निरस्त माना जाएगा जब तक कि उधारकर्ता द्वारा उसके पुन:वैधकरण के लिखित अनुरोध को नाबार्ड के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित नहीं कर दिया जाता.

A maximum time period of six months from the date of issue of sanction letter / amendment to the sanction letter is available to the borrower to avail disbursement of first installment of term loan. For this, any change within the ambit of the approved terms and conditions of sanction shall not tantamount to modification/ revision in sanction. After the stipulated period of six months, the sanction shall be treated as lapsed, until and unless the borrower requests for revalidation of the same in writing and the same is approved by the competent authority in NABARD.

(ii) पुन:वैधकृत मंजूरी उधारकर्ता को इस आशय से जारी किए गए पत्र की तिथि से 180 दिनों तक की अवधि के लिए वैध होगी. यदि उधारकर्ता सावधि ऋण की प्रथम क़िस्त ऊपर दर्शाए गए अनुसार 180 दिनों के भीतर आहरित नहीं करता है, तो पुन:वैधकृत मंजूरी समाप्त हो जाएगी. तथापि, यदि उधारकर्ता फिर भी नाबार्ड से सावधि ऋण लेना चाहता है तो परियोजना नई परियोजना मानी जाएगी. इसके लिए फिर से मूल्यांकन आवश्यक होगा. संशोधित डीपीआर, आवश्यक हो तो, के आधार पर इस पर विचार किया जाएगा. पुन:मूल्यांकन हेतु आवश्यक संशोधित डीपीआर के लिए उधारकर्ता को शुल्क चुकाना होगा.

The revalidated sanction shall be valid for a period of 180 days from the date of issue of letter to that effect to the borrower. If the borrower does not draw first installment of term loan within 180 days as indicated above, the revalidated sanction would lapse. However, if the borrower still evinces interest to avail term loan from NABARD, the project would be treated as a new project, requiring fresh appraisal based on a revised DPR, if need be, with payment of fee by the borrower towards re-appraisal.

11. परियोजनाओं का अनुप्रवर्तन और पर्यवेक्षण/ Monitoring and supervision of projects

खाद्य प्रसंस्करण निधि से स्वीकृत की गई परियोजनाओं के अनुप्रवर्तन के लिए नाबार्ड के डीएसएम द्वारा 29 जून 2016 के परिपत्र सं.152/डीएसएम-03/2016 के माध्यम से जारी ऋण अनुप्रवर्तन मैनुअल 2012 में निर्धारित दिशानिर्देशों और विभाग द्वारा समय-समय पर जारी अन्य अनुदेशों का अनुसरण किया जाएगा.

The guidelines laid down in NABARD's Credit Monitoring Manual 2012, the instructions issued by DSM vide circular No.152/DSM-03/2016 dated 29 June 2016 and any further instruction issued by Department from time to time shall be followed for monitoring the projects sanctioned from FPF.

12. विवेकपूर्ण मानदंड/ Prudential norms

इस निधि से दिए गए ऋणों पर विवेकपूर्ण मानदंड लागू होंगे. उत्पाद के कस्टमाइजेशन के समय जोखिम शमन का कार्य किया जाएगा. चूंकि प्रावधान प्रतिभूतियों की उपलब्धता के आधार पर किया जाता है इसलिए आस्तियों के अनर्जक बनने की स्थिति में कम प्रावधान करने हेतु के लिए ऋणों के लिए अतिरिक्त संपार्श्विक प्रतिभूति ली जाएगी.

The prudential norms will apply to the loans extended from the Fund. Risk mitigation will be handled at the product customization. As provisioning depends on the availability of security, additional collateral security for loans will be taken to attract lower provisioning, in case the assets become non-performing.

13. निवेश जोखिम/ Exposure norms

एकल/ व्यक्तिगत उधारकर्ता/ इकाई के लिए पिछले वित्तीय वर्ष के 31 मार्च को नाबार्ड की पूंजीगत निधि के 20% (आधारभूत संरचना परियोजनाओं के लिए) तथा पूंजीगत निधि के 15% (आधारभूत संरचना से इतर परियोजनाओं के लिए) से अधिक ऋण नहीं दिया जाएगा.

The exposure to a single / individual borrower / entity shall not exceed 20% of the capital funds of NABARD as on 31 March of previous financial year (for infrastructure projects) and 15% of the capital funds as on 31 March of previous financial year (for other than infrastructure projects).

14. अपने ग्राहक को जानिए (केवायसी), समुचित सावधानी और अन्य पहलू/ KYC, Due diligence and other aspects

उधारकर्ता इकाई (राज्य सरकारों को प्रत्यक्ष ऋण के अलावा) के लिए विविध क्रेडिट सूचना कंपनियों जैसे सिबिल, सीआरआईएफ हाई मार्क क्रेडिट इंफॉर्मेशन सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड, इक्वीफैक्स क्रेडिट इंफॉर्मेशन सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड, एक्स्पेरियन क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी ऑफ़ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इत्यादि से प्राप्त ऋण सूचना रिपोर्टों के विश्लेषण सहित अपने ग्राहक को जानिए (केवायसी) और समुचित सावधानी बरतने से संबंधित सभी चरणों का अनुसरण किया जाएगा. भारतीय रिज़र्व बैंक को अपलोड की गई एक्सबीआरएल रिपोर्टों से सेंट्रल रिपॉजिटरी ऑफ़ इंफॉर्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट्स, रेड फ्लैग खातों/ धोखाधड़ी करने वाले उधारकर्ताओं इत्यादि की सूचना प्राप्त की जा सकती है तथा प्रभार के सृजन से संबंधित पहलुओं पर केन्द्रीय पंजीयन प्राधिकरण इत्यादि के पास उपलब्ध सूचना का अनुसरण किया जाएगा.

All steps with regard to Know Your Customer (KYC) and undertaking due diligence of the borrowing entity (other than direct loans to State Governments), including analyzing Credit Information Reports generated from various Credit Information Companies, such as Credit Information Bureau (India) Ltd. (CIBIL), CRIF High Mark Credit Information Services Pvt. Ltd., Equifax Credit Information Services Pvt. Ltd., Experian Credit Information Company of India Pvt. Ltd. etc. shall be followed. Information may also be drawn from XBRL Reports uploaded to RBI, such as Central Repository of Information on Large Credits (CRILC), Red Flagged Accounts / Fraud Borrowers, etc. and on aspects related to creation of charge with central registering authority (CERSAI), etc., shall be followed.

अनुबंध - 2 (अ)/ Annexure- 2 (A)

खाद्य प्रसंस्करण निधि (एफ़पीएफ़) - मेगा फूड पार्क परियोजनाओं की स्थापना हेतु वित्तपोषण - परियोजना का जोखिम मूल्यांकन और जोखिम प्रीमियम

Food Processing Fund (FPF) - Financing Establishment of Mega Food Park Projects - Project Risk Rating & Risk Premium

1. **<u>परियोजनाओं की जोखिम रेटिंग/ Risk Rating of the Project</u>**

परियोजनाओं की ऋण जोखिम रेटिंग तीन प्रमुख खंडों अर्थात् वित्तीय जोखिम, व्यवसाय जोखिम, और प्रबंधन जोखिम में समूहीकृत विभिन्न मापदंडों के संबंध में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर की जाएगी. खंड-वार कवरेज निम्नानुसार है:

The credit risk rating of the project will be done based on total marks obtained with respect to various parameters grouped into 3 major segments viz. Financial Risks, Business Risks, and Management Risks. Segment-wise coverage is as under:

खंड सं. **Segment No.**	खंड **Segment**	अधिकतम अंक **Maximum Marks**
1	वित्तीय जोखिम Financial Risks	35
2	व्यवसाय जोखिम Business Risks	30
3	प्रबंधन जोखिम Management Risks	15
	कुल **TOTAL**	**80**

उपर्युक्त अधिकतम 80 अंक में से प्राप्त होने वाले कुल अंक को 100 अंकों के पैमाने पर आनुपातिक रूप में परिवर्तित कर लिया जाएगा और परियोजना का मूल्यांकन 100 में से प्राप्त कुल अंकों के आधार पर होगा, जैसा कि नीचे दिया गया है:

The total marks obtained against the maximum marks of 80 as above are converted proportionately on a 100 marks scale and the rating of the project will be on the basis of the total marks obtained for 100, as under:

क्र.सं. **Sl. No.**	कुल प्राप्तांक **Total Marks obtained**	जोखिम रेटिंग **Risk Rating**
1	85 और अधिक 85 and above	प्राइम Prime
2	75 से 84.5 75 to 84.5	कम Low

3	68 से 74.5 68 to 74.5	मध्यम Medium
4	60 से 67.5 60 to 67.5	अधिक High
5	60 से कम Less than 60	बहुत अधिक Very high

2. <u>जोखिम प्रीमियम/ Risk Premium</u>

उपर्युक्त के रूप में प्राप्त जोखिम रेटिंग के आधार पर, जोखिम प्रीमियम को एफपीएफ के पीएलआर में जोड़ दिया जाएगा जैसा कि नीचे बताया गया है.

Based on the risk rating obtained as above, Risk Premium will be loaded on to the PLR of FPF as indicated below.

क्र.सं. **Sl. No.**	**जोखिम रेटिंग** **Risk Rating**	**जोखिम प्रीमियम (% प्रति वर्ष)** **Risk Premium (% p.a.)**	**ब्याज दर** **Rate of interest**
1	प्राइम Prime	शून्य Nil	@पीएलआर @PLR
2	कम Low	0.10	पीएलआर+0.1% PLR+0.1%
3	मध्यम Medium	0.20	पीएलआर+0.2% PLR+0.2%
4	ज्यादा High	0.30	पीएलआर+0.3% PLR+0.3%
5	बहुत ज्यादा Very high	सावधि ऋण मंजूरी के लिए पात्र नहीं है Not eligible for term loan sanction	

मूल उधार दर नाबार्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित और सावधि ऋण की प्रत्येक किस्त के संवितरण के समय लागू दर के अनुरूप दर है.

PLR is the Prime Lending Rate, as decided by NABARD from time to time and as applicable on the date of disbursement of each installment of term loan.

अनुबंध- 2 (आ)/ Annexure- 2 (B)

खाद्य प्रसंस्करण निधि (एफ़पीएफ़) - निर्दिष्ट फूड पार्क (मेगा फूड पार्क को छोड़कर) परियोजनाओं की स्थापना हेतु वित्तपोषण - परियोजना का जोखिम मूल्यांकन और जोखिम प्रीमियम

Food Processing Fund (FPF) - Financing Establishment of Designated Food Park (Other than Mega Food Park) Projects - Project Risk Rating & Risk Premium

1. **परियोजनाओं की जोखिम रेटिंग/ Risk Rating of the Project**

परियोजना की ऋण जोखिम रेटिंग तीन प्रमुख खंडों अर्थात् वित्तीय जोखिम, व्यवसाय जोखिम, और प्रबंधन जोखिम में समूहीकृत कर विभिन्न मानदंडों पर प्राप्त कुल अंकों के आधार पर की जाएगी. खंड-वार कवरेज निम्नानुसार है:

The credit risk rating of the project will be done based on total marks obtained with respect to various parameters grouped into 3 major segments viz. Financial Risks, Business Risks, and Management Risks. Segment-wise coverage is as under:

खंड सं. **Segment No.**	खंड **Segment**	अधिकतम अंक **Maximum Marks**
1	वित्तीय जोखिम Financial Risks	30
2	व्यवसाय जोखिम Business Risks	34
3	प्रबंधन जोखिम Management Risks	36
	कुल **TOTAL**	**100**

क्र.सं. **Sl. No.**	कुल प्राप्तांक **Total Marks obtained**	जोखिम रेटिंग **Risk Rating**
1	85 और अधिक 85 and above	कम Low
2	75 से 84.5 75 to 84.5	सीमित Moderate
3	68 से 74.5 68 to 74.5	मध्यम Medium
4	60 से 67.5 60 to 67.5	अधिक High
5	60 से कम Less than 60	बहुत अधिक Very High

3. <u>जोखिम प्रीमियम/ Risk Premium</u>

उपर्युक्त रूप में प्राप्त जोखिम रेटिंग के आधार पर, जोखिम प्रीमियम को एफपीएफ के पीएलआर में जोड़ दिया जाएगा जैसा कि नीचे बताया गया है.

Based on the risk rating obtained as above, Risk Premium will be loaded on to the PLR of FPF as indicated below.

क्र.सं. **Sl. No.**	**जोखिम रेटिंग** **Risk Rating**	**जोखिम प्रीमियम (% प्रति वर्ष)** **Risk Premium (% p.a.)**	**ब्याज दर** **Rate of interest**
1	कम Low	शून्य Nil	@पीएलआर @PLR
2	सीमित Moderate	0.10	पीएलआर+0.1% PLR+0.1%
3	मध्यम Medium	0.20	पीएलआर+0.2% PLR+0.2%
4	अधिक High	0.30	पीएलआर+0.3% PLR+0.3%
5	बहुत अधिक Very High	सावधि ऋण मंजूरी के लिए पात्र नहीं है Not eligible for term loan sanction	

मूल उधार दर (पीएलआर) नाबार्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित और सावधि ऋण की प्रत्येक किस्त के संवितरण के समय लागू दर के अनुरूप दर है.

PLR is the Prime Lending Rate, as decided by NABARD from time to time and as applicable on the date of disbursement of each installment of term loan.

अनुबंध 2 (इ)/ Annexure 2 (C)

खाद्य प्रसंस्करण निधि (एफ़पीएफ़) - निर्दिष्ट फूड पार्क में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों (डीएफ़पीएस) का वित्तपोषण - परियोजना का जोखिम मूल्यांकन और जोखिम प्रीमियम
Food Processing Fund (FPF) - Financing of Food Processing Units in Designated Food Parks (DFPs) - Project Risk Rating & Risk Premium

परियोजना की ऋण जोखिम रेटिंग पांच प्रमुख खंडों अर्थात् वित्तीय जोखिम, संभाव्य और बाजार जोखिम, व्यवसाय जोखिम, प्रबंधन जोखिम और परियोजना जोखिम में समूहीकृत विभिन्न मानदंडों पर प्राप्त कुल अंकों के आधार पर की जाएगी. इसके आगे, उधारकर्ता की प्रकृति पर विचार करते हुए (i) मौजूदा व्यवसाय उद्यमों और (ii) नए व्यवसाय उद्यमों के लिए अलग-अलग रेटिंग मैट्रिक्स तैयार किए गए हैं. उधारकर्ता-वार और खंड-वार कवरेज निम्नानुसार हैं:

The risk rating of the project will be based on total marks obtained with regard to various parameters grouped into 5 major segments viz. Financial Risk; Potential & Market Risk; Business Risk; Management Risk; and Project Risk. Further, considering the nature of the borrower, separate rating matrices are devised for (i) Existing Business Enterprises and (ii) New Business Enterprises. Borrower-wise and Segment-wise coverage will be as under:

I. उधारकर्ता के विद्यमान व्यवसाय उद्यम होने की स्थिति में
Where the borrower is an existing business enterprise

खंड सं. **Segment No.**	खंड **Segment**	अधिकतम अंक **Maximum Marks**
1	वित्तीय जोखिम Financial Risk	40
2	संभाव्यता और बाजार जोखिम Potential and Market Risks	15
3	व्यवसाय जोखिम Business Risks	15
4	प्रबंधन जोखिम Management Risk	17
5	परियोजना जोखिम Project Risks	13
	कुल **TOTAL**	**100**

II. उधारकर्ता के नए व्यवसाय उद्यम होने की स्थिति में

Where the borrower is a New Business Enterprise

खंड सं. **Segment No.**	खंड **Segment**	अधिकतम अंक **Maximum Marks**
1	वित्तीय जोखिम Financial Risk	34
2	संभाव्यता और बाजार जोखिम Potential and Market Risks	15
3	व्यवसाय जोखिम Business Risks	15
4	प्रबंधन जोखिम Management Risk	23
5	परियोजना जोखिम Project Risks	13
	कुल **TOTAL**	**100**

क) अतिरिक्त अंक/ Additional Marks

निम्नलिखित मामलों में अतिरिक्त अंक दिए जाएंगे

Additional marks may be accorded in the following cases:

(i) दीर्घावधि लिखतों के किसी प्रतिष्ठित बाहरी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी (जैसे केअर, क्रिसिल, इक्रा, फिच (इंडिया रेटिंग्ज एण्ड रिसर्च, ब्रिकवर्क रेटिंग्ज इंडिया प्रा.लि. आदि) से "बीबीबी" अथवा बेहतर (अर्थात् ए, एए और एएए) रेटिंग प्राप्त - **2 अंक** जोड़ें.

External Credit Rating from a reputed credit rating agency (such as CARE, CRISIL, ICRA, Fitch (India Ratings & Research, Brickwork Ratings India Pvt. Ltd, etc.) as "BBB" or Better (i.e., A, AA and AAA) for Long Term instruments - **add 2 marks**.

(ii) यदि व्यवसाय उद्यम के पास गुणवत्ता का प्रमाणपत्र (जैसे एचएसीसीपी प्रमाणन, आईएसओ प्रमाणन, अंतरराष्ट्रीय/ राष्ट्रीय प्रमाणन आदि) है अथवा उत्पाद को उधारकर्ता द्वारा पेटेंट बनाने के लिए प्रस्तुत किया गया है या इसके लिए आवेदन किया गया है और उसे भारत सरकार द्वारा स्वीकार किया गया है अथवा अधिसूचना जारी कर दी गई है - **2 अंक** जोड़ें.

If business enterprise has quality certification (like HACCP Certification, ISO Certification, International/National Accreditation, etc.) or the product has been patented or application for Patenting from the Borrower accepted by GoI and notification issued, etc. - **add 2 marks.**

ख) मानदंड का लागू न होना/ Non applicability of parameter

यदि कोई मानदंड व्यवसाय उद्यम/ उधारकर्ता या समग्रत: परियोजना के मामले में लागू नहीं है तो उस/ उन मानदंड/ मानदंडों को छोड़कर अंक दिए जाएंगे और कुल अंकों की गणना की जाएगी. प्राप्त अंकों को 100 के पैमाने पर अनुपातिक रूप से रूपांतरित किया जाएगा और अधिकतम 100 अंकों में वास्तविक प्राप्तांक की गणना की जाएगी.

If any of the parameter(s) is not applicable for the business enterprise /borrower or the project *per se*, scoring may be done excluding that / those parameters and the total score arrived at. This score would be converted proportionately on 100 scale basis and the actual score against the maximum of 100 is arrived at.

2. कुल अंक और ऋण जोखिम का स्तर/ Total Score and Level of Credit Risk

उपर्युक्त के अनुसार परियोजना को प्राप्त कुल अंकों (अतिरिक्त अंकों को मिलाकर यदि कोई हो) के आधार पर ऋण जोखिम का वर्गीकरण निम्नानुसार किया जाएगा.

The categorization of credit risk will be based on the total score obtained for the project as above (including the additional marks, if any) as under:

क्रम सं. Sl. No.	कुल प्राप्तांक/ Total Marks obtained	जोखिम रेटिंग/ Risk Rating	ब्याज दर/ Rate of Interest
1	75 और अधिक/ and above	न्यून जोखिम/ Low Risk	पीएलआर/ PLR+0.1%
2	< 75 से/ to > = 68	मध्यम जोखिम/ Medium Risk	पीएलआर/ PLR+0.2%
3	< 68 से/ to > = 60	उच्च जोखिम/ High Risk	पीएलआर/ PLR+0.3%
4	< 60	अत्यधिक जोखिम/ Very High	पात्र नहीं/ Not Eligible

3. हर्डल रेट/ अंक/ Hurdle Rate/Score

(i) समग्र जोखिम रेटिंग में 60% से कम प्राप्तांक वाली परियोजनाओं पर एफपीएफ के अंतर्गत सावधि ऋण के लिए विचार नहीं किया जाएगा.

Projects with overall risk rating scoring less than 60% (Very High Risk) will not be considered for term loan under FPF.

(ii) उपर्युक्त (i)में किसी बात के होते हुए भी उधारकर्ता के प्रकार/ श्रेणी के अनुसार निम्नानुसार हर्डल अंक दिए जाएंगे.

Notwithstanding (i) above, the following would be the hurdle scores, as per the type / category of the borrower:

(क) यदि उधारकर्ता पहले से ही व्यवसाय उद्यम हो/ Where the borrower is an Existing Business Enterprise

यदि परियोजना किसी विद्यमान व्यवसाय उद्यम द्वारा स्थापित की जानी हो तो 'वित्तीय जोखिम' (उप जोड़ 1) इस खंड के अंतर्गत अधिकतम अंक के 68% से कम नहीं होगा (अर्थात् इस खंड में 40 के अधिकतम अंक में 27 से कम नहीं होगा).

In respect of a project to be set up by an existing business enterprise, the Sub-Score under the Segment "Financial Risk" (Sub-total 1) shall not be less than 68% of the maximum score under this Segment (i.e. not less than 27 out of maximum score of 40 under this Segment).

(ख) यदि उधारकर्ता नया व्यवसाय उद्यम हो/ Where the borrower is a New Business Enterprise

यदि परियोजना किसी नए व्यवसाय उद्यम द्वारा स्थापित की जानी हो तो 'संभाव्य और बाज़ार जोखिम' (खंड 2 का उप जोड़) + 'व्यवसाय जोखिम' (खंड 3 का उपजोड़) + 'प्रबंधन जोखिम' (खंड 4 का उपजोड़) + 'परियोजना जोखिम' (खंड 5 का उपजोड़) को मिलाकर इन खंडों का संयुक्त उप-अंक अधिकतम अंक के 68% से कम नहीं होगा. दूसरे शब्दों में 'वित्तीय खंड' (खंड 1) को छोड़कर सभी खंडों का संयुक्त कुल अंक 66 के अधिकतम अंक में से 45 से कम नहीं होगा).

In respect of a project to be set up a new business enterprise, the combined Sub-Score under the Segments "Potential and Market Risk" (Sub-total of Segment 2) + "Business Risk"(Sub-total of Segment 3) + "Management Risk" (Sub-total of Segment 4) + "Project Risk"(Sub-total of Segment 5) shall not be less than 68% of the maximum score under these Segments. In other words, the combined total score of all the segments except Financial segment (Segment-1) shall not be not less than 45 out of maximum score of 66.